

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान ..... वीरपाल कौर ..... बनाम ..... जसविन्द सिंह आदि

प्रकरण संख्या ..... 06 ..... / 2023 अन्तर्गत धारा ..... 251(A) RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर जो इस पालना
9/5/24	अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राथमिक पत्र पेश किया। नकल डिलाई गरी शामिल प्रिंसल रहे। वक्तव्य सुनी गड़ी पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17/05/24 को पेश हो।	
17/5/24	अधिवक्तागण उपस्थित। श्रेष्ठ अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 31/05/24 को पेश हो।	
31/5/24	अधिवक्तागण उपस्थित। प्राथमिक अधिवक्ता के द्वारा प्राथमिक पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में हम पदाकारन का <del>रजि</del> रजिनामा हो चुका है। इसलिए इस प्रकरण को हम नौ प्रेश कर खारिज करवाना चाहते हैं। प्राथमिक व प्राथमिक अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राथमिक द्वारा प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) RTA नौ प्रेश करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय होकर नम्बर से कम होकर वापिस देकर हो।	

वीरपाल कौर  
जसविन्द सिंह  
Admit



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर